भारत सरकार

स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय

स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण विभाग

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 905

28 जुलाई, 2015 को पूछे जाने वाले प्रश्‍न का उत्‍तर

**स्वास्थ्य देखरेख क्षेत्र में निजी क्षेत्र की प्रधानता**

**905. डा॰ प्रभाकर कोरेः**

**क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि 70 प्रतिशत से अध्कि बीमारियों का उपचार निदान केन्द्रों, अस्पतालों और धर्मार्थ संस्थानों सहित निजी क्षेत्र में किया जाता है;

(ख) क्या निजी चिकित्सक ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उपचार का एकमात्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है;

(ग) क्या सरकारी अस्पतालों में लंबी प्रतीक्षा के कारण लोगों को उपचार हेतु निजी स्वास्थ्य देखरेख प्रदाताओं का रुख करना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्‍तर

स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण राज्‍य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाइक )

(क) से (ग): राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) 71वें राउण्ड (2014) के अनुसार, जिन बीमारियों में अस्पताल में भर्ती करके उपचार करने की आवश्यकता नहीं होती है, उनमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 21% और शहरी क्षेत्रों में 29% बीमारियों का इलाज निजी अस्पतालों में किया गया है। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में 51% और शहरी क्षेत्रों में 50% बीमारियों का इलाज निजी डॉक्टरों/क्लीनिकों द्वारा किया गया। जिन बीमारियों में अस्पताल में भर्ती करके उपचार करने की आवश्यकता होती है, उनमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 58% और शहरी क्षेत्रों में 68% बीमारियों का इलाज निजी क्षेत्र द्वारा किया गया।

चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, अत: नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों पर होती है। फिर भी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत राज्यों को उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं में प्रस्तावित अपेक्षा के आधार पर आधारभूत संरचना, मानव संसाधन, दवाइयों, उपकरण आदि के लिए सहयोग सहित जन-स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जहां तक दिल्‍ली में केन्‍द्र सरकार के तीन अस्‍पतालों अर्थात् सफदरजंग अस्‍पताल, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्‍पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और संबद्ध अस्‍पतालों का संबंध है, इन अस्‍पतालों में न केवल दिल्‍ली के मरीजों का इलाज होता है बल्कि पूरे एनसीआर और दूर-दराज से आने वाले मरीजों का भी उपचार किया जाता है। ये अस्‍पताल अपनी क्षमता से अधिक कार्य करने के लिए बाध्‍य है तथा कभी-कभी इनमें बहुत अधिक भीड़ हो जाती है क्‍योंकि सरकारी अस्‍पतालों के अधिदेश के अनुसार किसी भी मरीज को उपचार से इंकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार इन अस्‍पतालों की सुविधाएं मांग के हिसाब से कम है। हालांकि इन अस्‍पतालों का उन्‍नयन और आधुनिकरण कार्य एक सतत प्रक्रिया है तथा मरीजों को अत्‍याधुनिक सुविधाएं तथा मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए वर्तमान में इन सभी अस्‍पतालों में चरणबद्ध रूप से पुनर्विकास कार्य किया जा रहा है। समय-समय पर उत्‍पन्‍न जरूरतों अनुसार इन अस्‍पतालों में अत्‍याधुनिक मशीनों/उपकरणों की खरीद की जाती रही है।

(घ): सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों द्वारा किए जाने वाले फुटकर व्यय (ओओपीई) को कम करने के लिए अनेक प्रयास शुरू किए गए हैं, जैसे – जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके), राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके), सर्वव्यापक टीकाकरण कार्यक्रम का विस्तार, नि:शुल्क आपातकालीन रेफरल सेवाएं और एनएचएम – नि:शुल्क औषधि सेवा पहल तथा एनएचएम – नि:शुल्क नैदानिक जांच सेवा पहल। निजी स्वास्थ्य केंद्र में ओओपीई (फुटकर व्यय) सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र की तुलना में काफी अधिक होता है।

इसके अलावा एनएचएम के तहत, राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए सहयोग प्रदान किया गया है जिसमें गुणवत्ता आश्वासन की संगठनात्मक ढांचा (राज्य गुणवत्ता आश्वासन समिति एवं इकाईयां, जिला गुणवत्ता आश्वासन समितियां एवं इकाईयां) के लिए सहयोग, स्वास्थ्य केंद्रों के आकलन, कमियों को पूरा करने के लिए सहायता, बायोमेडिकल अपशिष्ट के प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए सहयोग, गुणवत्ता प्रमाणन के संबंध में स्वास्थ्य केंद्रों को प्रोत्साहन, मुख्य निष्पादन संकेतकों (केपीआई) के जरिए निगरानी आदि शामिल हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नवंबर, 2013 में जिला अस्पतालों के लिए गुणवत्ता मानदंडों सहित ‘सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में गुणवत्ता आश्वासन के लिए प्रचालन दिशा-निर्देश’ जारी किया। नवंबर, 2014 में, आउटरीच सेवाओं सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए भी गुणवत्ता मानक जारी किए गए हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में सफाई एवं स्वच्छता की समस्या के समाधान के लिए मंत्रालय द्वारा मई, 2015 में कायाकल्प पहल शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों का आकलन ‘स्वच्छता’ के आधार पर किया जाएगा और जो स्वास्थ्य केंद्र स्वच्छता के मानदंडों का सर्वाधिक पालन करेंगे उन्हें प्रशस्ति पत्र और नकद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।

\*\*\*